ए.रामराव व अन्य

बनाम

रघुनाथ पटनायक व अन्य

अप्रेल 24, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत व श्री एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.)

नोटिस- वादी व एक प्रतिवादी के बीच वाद संपत्ति की बिक्री के संबंध में अपंजीकृत करार - वादी को पता चला कि प्रतिवादी उसी संपत्ति के संबंध में दो अन्य प्रतिवादियों के साथ करार कर रहा है। - वादी द्वारा सभी प्रतिवादियों को डाक द्वारा पूर्ववर्ती करार के अस्तित्व के संबंध में नोटिस भेजा गया। - नोटिस प्राप्त करने से इन्कार। -पूर्ववर्ती करार की विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद। - नोटिस को डाक द्वारा भेजने संबंधी और उसकी इन्कारी संबंधी विशिष्ठ कथनों की अनुपस्थिति। -अधीनस्थ न्यायालयों ने विनिर्दिष्ट पालना की डिक्री यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित की कि, इन्कारी के दृष्टिगत प्रतिवादियों को पूर्ववर्ती करार का ज्ञान नहीं होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

अपील में अभिनिर्धारित कि गया है " नोटिस की प्राप्ति की इन्कारी से संबंधी निष्कर्ष अस्पष्ट है -अधीनस्थ न्यायालयों ने इस मुद्दे से संबंधी

कई तर्कों को अभिनिश्चित नहीं किया है। उच्च न्यायालय को नोटिस की तामील के प्रश्न पर निष्कर्ष एवं नोटिस के प्रेषित करने या उसके इन्कार करने के संबंध में विशिष्ट तर्क के अनुपस्थित होने के प्रभाव के बारे में अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करने का निर्देश दिया गया। -निष्कर्षों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

वादी ने अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्घ संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का वाद प्रस्तुत किया। उसमें यह अरोप लगाया गया था कि वादग्रस्त संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अपंजीकृत करार वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया था। जब वादी को पता चला कि पूर्ववर्ती करार होने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 2व 3 को विक्रय करना चाहता है, उसने प्रतिवादियों को डाक द्वारा नोटिस भेजकर पूर्ववर्ती करार के अस्तित्व के बारे में सूचना दी । वह नोटिस लेने से इंकार करने के द्वारा बिना प्राप्त हुए वापस आ गया। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री कर दिया और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपील को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि जब नोटिस की प्राप्ति की इन्कारी हो गयी, तो यह उपधारणा ली जाएगी की प्रतिवादियों को पूर्ववर्ती करार की सूचना थी। रिट अपील में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि डाकिये की परीक्षा के अनुपस्थिति में इन्कारी के बारे में अनुमान लगाना अनुज्ञेय नहीं था।" और नोटिस के डाक द्वारा प्रेषित करने बाबत और उसकी इन्कारी के संबंध में कोई भी विशिष्ठ तर्क नहीं दिया गया था।

प्रकरण को इस निर्देश के साथ स्थगित किया गया कि उच्च न्यायालय निश्चित प्रश्नों के बारे में अपने निष्कर्षों को इस न्यायालय के समक्ष रखें।

अभिनिर्धारित-

1. उच्च न्यायालय का इसी मुद्दे पर निष्कर्ष अपेक्षाकृत अस्पष्ट है कि नोटिस के प्राप्ति की इन्कारी के संबंध में जिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना बताया गया था। उच्च न्यायालय ने केवल यह अभिनिश्चित किया कि अन्य सभी बिन्दु एकल न्यायाधीश द्वारा विचार कर लिए गए है। परन्तु यह अभिलेख पर लाया गया है कि इस न्यायालय के एक निर्णय के प्रभाव को विचार में नहीं लाया गया। यद्यपि वह विशिष्ट रूप से बहस में लिया गया था। यह तर्क कि जब प्रतिवादी संख्या एक शपथ पर कहता है कि उसने नोटिस जो कि डाक द्वारा उसे भेजा गया था उसने प्राप्त नहीं किया है तो उसका यह कथन डाक टिप्पणी जो कि इन्कारी लिखी हुई थी, के उपर अभिभावी मानी जाएगी, तब तब डाकिए का परीक्षण न हुआ हो और नोटिस को डाक द्वारा भेजने और उसकी इन्कारी के संबंध में कोई

निश्चित अभिकथन नहीं किए गए हों, उनको विचार में नहीं लिया गया था।

2. उच्च न्यायालय को नोटिस की तामील के प्रश्न पर और नोटिस डाक द्वारा भेजने और उसकी इन्कारी के बारे में किसी विशिष्ट तर्क के अभाव के प्रभाव के बारे में दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद इस संबंध में निष्कर्ष देने का निर्देश दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5130/2003

उड़ीसा उच्च न्यायालय के ए.एच.औ. सं. 96/1995 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2001 के विरूद्घ

विद्वान् अधिवक्ता श्री वीनू भगत व रूत्विक पांडा अपीलार्थी की ओर से।

विद्वान् अधिवक्ता श्री आर.एल. खुराना, एम.सी. ढिंगरा व संजय जैन प्रत्यर्थीगण की ओर से।

इस न्यायलय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करने के फैसले को चुनौति दी गई है।

2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर

तथ्यात्मक पहलुओंका संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक होगा।

3. वर्तमान अपील में जो विवाद का विषय है, वह एकमात्र वादी के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 रघुनाथ पटनायक द्वारा दायर अनुबंध के विशिष्ट अनुपालन के लिए था।

4. वाद में यह तर्क दिया गया कि 07.11.1983 को प्रतिवादी नंबर एक ने मुकदमें के अनुसूचित गृह स्थल के संबंध में एक अपंजीकृत सादा कागज समझौता निष्पादित किया, जिसमें 25,000/- रूपये के प्रतिफल के लिए वादी के पक्ष में इसे हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की गयी थी। आंशिक भुगतान रूप पांच हजार का भुगतान किया गया। समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, उन्होंने 14.03.1984 को प्रतिवादी नंबर दो और तीन के साथ उसी साइट के लिए एक और समझौता किया। उक्त व्यवस्था के बारे में पता चलने के बाद, वादी ने 29.03.1984 को सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जिसमें उसके और प्रतिवादी नं. एक के बीच पहले के समझौते के अस्तिव के बारे में सूचित किया गया और उनसे किसी भी बिक्री लेनदेन में प्रवेश न करने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी क्रमांक एक को जारी किया गया नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गया, जबकि प्रतिवादी क्रमांक दो और तीन को जारी नोटिस उनके इनकार करने पर बिना तामील हुए वापस आ गया। जब वादी को पता चला कि प्रतिवादी विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए

आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन और अन्य सहायक राहतों के लिए एक मुकदमा दायर किया जबकि दो अन्य प्रतिवादियों ने अलग-अलग लिखित बयान दायर किए। यह याचिका कथित पहले अपंजीकृत समझौते के निष्पादन से इन्कार करने से संबंधित थी। निचली अदालतों ने यह विचार किया कि एक बार प्रतिवादी नंबर एक द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इन्कार दिया गया, तो यह माना जाना चाहिए कि उसे पहले के समझौते की सूचना थी। ट्रायल कोर्ट और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील खारिज कर दी। लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी गई जहां कई दलीलें ली गई। यह दलील दी गई कि वादी इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहा कि प्रतिवादी नं. दो और तीन को विक्रय विलेख/विक्रय अनुबंध दिनांक 14.03.1984 के निष्पादन से पहले समझौते के अस्तित्व के बारे में जानकारी थी और केवल उसी आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए था। यह दलील दी गई कि प्रतिवादी संख्या दो और तीन तथाकथित पिछले अपंजीकृत समझौते की सूचना के बिना मूल्य के वास्तविक खरीदार हैं। वादी की और से यह साबित करने के लिए कि वह हमेशा तैयार और इच्छुक था, दलील या साक्ष्य के अभाव से संबंधित एक याचिका भी दायर की गई। यह बताया गया कि प्रतिवादियों द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इन्कार करने के बारे में कोई विशेष कथन नहीं था क्योंकि यह केवल कहा गया है कि प्रतिवादियों ने नोटिस प्राप्त करने से परहेज किया। इसके अलावा डाकिया की जांच भी नहीं की गई

थी। इसलिए, कथित रूप से समर्थन किए जाने से इन्कार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह गलती से माना है कि विशिष्ट खंडन द्वारा अनुमान का खंडन नहीं किया जाता जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा किए बिना अपील को खारिज करने योग्य माना। इसमें विशेष रूप से नोटिस की तामील न होने से संबंधित याचिका पर विचार नहीं किया गया।

5. जहां तक उस मुद्दे का संबंध है, एकमात्र अवलोकन निम्नलिखित प्रभाव वाला है।

> "हमने यह भी पाया है कि श्री मुखर्जी द्वारा उठाए गए अन्य सभी बिंदुओंका उत्तर ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ प्रथम अपील में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। सबूतों की जांच करने और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम जो निष्कर्ष निकले उससे सहमत हैं निचली अदालत और माननीय एकल न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्श-1 एक वैध दस्तावेज था और इसे प्रतिवादी नंबर एक द्वारा विधिवत निष्पादित किया गया था और समझौते (प्रदर्श-1) की शर्तों को विशेष रूप से पूरा करने के लिए एक डिक्री पारित की जा सकती है। हम इस निष्कर्ष की भी पुष्टि करते हैं कि समझौते में निर्धारित समय समाप्त नहीं हुआ

है, अपीलकर्ताओं के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई अवसर नहीं था और अपीलकर्ता की तत्परता और इच्छा के बारे में दलील पर्याप्त है, क्योंकि लिखित बयान में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।"

6. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ताओंके विद्वान वकील ने निवेदन किया कि डाकिया की जांच के अभाव में इन्कार का निष्कर्ष निकालना स्वीकार्य नहीं है। वादपत्र में ऐसा कोई कथन नहीं था कि अपीलकर्ताओंने नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। केवल इतना कहा गया कि वे टालमटोल कर रहे थे। इसमें डाक द्वारा नोटिस भेजने या डाकिए द्वारा पृष्ठांकन की बात तक भी नहीं कही गई है। आगे बताया गया कि कथित तौर पर नोटिस को 08.04.1984 को अस्वीकार कर दिया गया था जो कि रविवार था। यह स्वयं वादी के दावे की मिथ्यता को दर्शाता है।

7. जवाब में, उत्तरदाताओंके विद्वान वकील ने निवेदन किया कि डाकिया के पृष्टांकन की सत्यता के बारे में वैधानिक उपधारणा को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही ढंग से लागू माना गया है। वास्तव में, साक्ष्य इस आशय का था कि इनकार 05.04.1984 को किया गया था, न कि 08.04.1984 को, जैसा कि अपीलकर्ताओंने दावा किया था। चूंकि वाद 05.04.1984 को दायर किया गया था, इसलिए इन्कार के संबंध में कोई

विशिष्ट रूख नहीं लिया गया।

8. हमने पाया कि पंजीकृत डाक से भेजे गए दावे वाले नोटिस को स्वीकार करने से इन्कार करने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अस्पष्ट हैं। उच्च न्यायालय ने केवल यह निष्कर्ष निकाला है कि अन्य सभी बिंदुओंपर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया है। यह अभिलेख पर लाया गया है कि इस न्यायालय के फैसले पुउउदा वेंकेटेश्वर राव बनाम चिदमना वेंकटरमण(1976(3) एससीआर 551) के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, हालांकि विशेष रूप से यह तर्क दिया गया था।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि रूख यह था कि जब प्रतिवादी नंबर एक ने शपथ पर कहा कि उसे कथित तौर पर डाक द्वारा भेजा गया नोटिस नहीं मिला, तो वह बात उस डाक टिप्पणी पर अभिभावी होगी कि इसे "इन्कार" कर दिया गया था जब तक डाकिया की परीक्षा नहीं की जाती। इसके अलावा, इस दलील पर विचार नहीं किया गया कि डाक द्वारा नोटिस भेजने या इसके इन्कार के संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं था। उत्तरदाताओंके विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि मुकदमा 05.04.1984 को दायर किया गया था अर्थात् इनकार की तारीख तथ्य को नजरअंदाज करती है कि इसे एक संशोधन के माध्यम से लाया जा सकता था और/या इनकार की कथित तारीख थी 08.04.1984.

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे सामने उच्च

न्यायालय के समक्ष दायर की गई मूल पेपर बुक पेश की हैं जो इस बात का समर्थन करती है कि उनका इन्कार को 08.04.1984 था।

11. मामले के उपरोक्त परिदृश्य में, हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह नोटिस की तामील के सवाल पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करे और साथ ही डाक द्वारा नोटिस भेजने और/या उसके इन्कार के प्रभाव पर निष्कर्षों को भी दर्ज करें। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि इन्कार 05.04.1984 यानि वाद दायर करने की तारीख को किया गया था, लेकिन वादी को कम से कम यह उल्लेख करने से नहीं रोका गया था कि नोटिस डाक द्वारा भेजा गया है। पक्षकारों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्षों को अभिलिखित किया जाए। उच्च न्यायालय तीन महीने की अवधि के भीतर अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करने के बाद इस न्यायालय को भेजेगा। इस मामले को चार महिने बाद लगाया जाए।

12. अपील इन निर्देशों के साथ स्थगित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लोकेंद्र सिंह शेखावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।